# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/लेखा सहायक/ कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु**

## ।। आम सूचना ।।

---

**विज्ञापन संख्या : 01/2021 दिनांक : 27.10.2021**

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या–4729, दिनांक–04.06.2007 एवं नियुक्ति, सेवा–शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2007 के संकल्प संख्या–4–1002 (MGNREGA) /2012/ग्रा0वि0 के ज्ञापांक 6440/दिनांक 17.07.2012 तथा नियुक्ति, सेवा–शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2007 के संकल्प संख्या–14–102/मन0क्षे0स्था0/2016/ग्रा0वि0 सह पठित ज्ञापांक 848 एन./ दिनांक 21.03.2017 एवं मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 650/ दिनांक 16.06.2021 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/ तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/ लेखा सहायक/ कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद की स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत पद के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार अनारक्षित/ आरक्षित रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्णतया संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिये आवेदन आमंत्रित किया जाता है ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–14/ स्थानीय नीति–14–04/2018 का. 821/ राँची, दिनांक 05.02.2021 के द्वारा परिभाषित स्थानीयता नीति के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को नियुक्त करने संबंधी निदेश प्राप्त है ।

**1. पदों की संख्या–रिक्त पदों के विरूद्ध के कोटिवार विवरणी निम्नप्रकार है :–**

| क्र0 सं0 | पद का नाम | अनारक्षित | अ0ज0जा0 | अ0जा0 | अत्य0प0व0 | पि0वर्ग | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | ***03*** |
| 2 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | ***02*** |
| 3 | लेखा सहायक | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | ***03*** |
| 4 | कम्प्युटर सहायक | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | ***02*** |
| 5 | ग्राम रोजगार सेवक | 30 | 13 | 09 | 01 | 00 | ***53*** |
| | **कुल संख्या :–** | ***34*** | ***18*** | ***09*** | ***02*** | ***00*** | ***63*** |

**नोट : कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है ।**

**2. *<u>आयु सीमा (01.11.2021 को)</u>*** : न्यूनतम 18 वर्ष

| क्र. सं. | श्रेणी | अधिकतम आयु सीमा | दिब्यांगजनों के लिये |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (क) | अनारक्षित | 35 वर्ष | 45 वर्ष |
| (ख) | पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 37 वर्ष | 47 वर्ष |
| (ग) | महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा) | 38 वर्ष | 48 वर्ष |
| (घ) | अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति (पु0 एवं म0) | 40 वर्ष | 48 वर्ष |

3. ***क्षैतिज आरक्षण*** : नियुक्ति में ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु क्षैतिज आरक्षण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प के आलोक में देय होगा ।

4. ***राष्ट्रीयता*** : आवेदक भारत का नागरिक हो ।

5. ***परिलब्धि*** : ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का नियमावली संकल्प ज्ञापांक 2369/ दिनांक 30.09.2016 के आलोक में निम्न पदों के लिये मानदेय इस प्रकार है :—

| क्र0 सं0 | पद का नाम | मासिक परिलब्धि |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी | *₹ 19,500/-* |
| 2 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | *₹ 17,520/-* |
| 3 | लेखा सहायक | *₹ 10,000/-* |
| 4 | कम्प्युटर सहायक | *₹ 10,000/-* |
| 5 | ग्राम रोजगार सेवक | *₹ 7,500/-* |

## 6. अहर्ताएँ—

❖ **प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :**

(क) ***अनिवार्य योग्यता***— सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत् अंक के साथ उत्तीर्ण । सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत् 55 प्रतिशत् से कम है, परन्तु स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे । सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिये सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत् में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत् को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा ।

(ख) ***अतिरिक्त योग्यता***—

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए./ पी.जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.बी.एम./ पी.जी.डी.आर.डी./ बी.सी.ए./ बी.एस.सी. कम्प्युटर/बी.सी.ए. कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्युटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी । एम.बी.ए. एवं पी.जी.डी.बी.एम. पी.जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.आर.डी. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.बी.एम./ पी.जी.डी.आर.डी. के प्राप्तांक प्रतिशत् में 5 घटाकर एम.बी.ए. की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी.सी.ए. तथा सामान्य बी.एस.सी. कम्प्युटर को बी.एस.सी. कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत् से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी.एस.सी. कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत् जोड़ा जायेगा ।

(b) एम.सी.ए./ एम.एस.सी. कम्प्युटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम.सी.ए. को कोटि में जोड़े जायेंगे । पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्य लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत् में 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने बी.सी.ए. या बी.एस.सी. कम्प्युटर साईंस या बी.एस.सी. कम्प्युटर ऑनर्स के पश्चात् पी.जी.डी.सी.ए. किया हो अन्यथा पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत् में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम.सी.ए. की कोटि में रखा जायेगा ।

## ❖ तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :

**(क) अनिवार्य योग्यता :** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी । साथ ही सिविल संकाय में बी0टेक0/ बी0ई0 उत्तीर्ण अथ्यर्थी भी आवेदन देने हेतु योग्य समझें जायेंगे ।

**(ख) अतिरिक्त योग्यता :**

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगें तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा ।

c. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें । पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

## ❖ लेखा सहायक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :

**(क) अनिवार्य योग्यता :**

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से बी0 कॉम आनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0 कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेगें, परंतु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा ।

**(ख) अतिरिक्त योग्यता :**

a. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम0 कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें । पी0जी0डी0सी0ए0 तथ एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा । जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा ।

## ❖ कम्प्यूटर सहायक पद क लिए शैक्षणिक योग्यता :

**(क) अनिवार्य योग्यता :**

(I) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें ।

a. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स

b. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य

c. बी0सी0ए0

d. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण ।

(II) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा । वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा ।

## (ख) अतिरिक्त योग्यता :

a. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।

b. एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा तथा तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें । पी0जी0डी0सी0ए0 तथ एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा । जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा ।

## ❖ ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :

**(क)** ***अनिवार्य योग्यता*** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई., मैट्रिक के पश्चात् आई.टी.आई. की स्थिति में आई.टी.आई. के प्राप्तांक प्रतिशत् को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत् के समतुल्य समझा जायेगा ।

**(ख)** ***अतिरिक्त योग्यता*** –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक (प्रतिष्ठा)/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी.जी.डी.सी.ए./ पी.जी.डी.बी.ए. / पी.जी.डी.आर.डी. अतिरिक्त योग्यता होगी ।

(b) स्नातक (प्रतिष्ठा) के प्रतिशत् प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा । पी.जी.डी.सी.ए./ पी.जी.डी.बी.ए./ पी.जी.डी.आर.डी. को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत् में 5 घटा दिया जायेगा ।

(c) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा ।

उपर वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी । इस संबध में स्पष्ट किया जाता है कि उपर वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं की मान्यता उन्हीं संस्थानों को दी जायेगी जो **www.ugc.ac.in** वेबसाईट में प्रदर्शित मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में अंकित है ।

## नियुक्ति की शर्त्ते निम्नवत् हैं :–

1. वर्ग–02 के लिये प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं वर्ग–03 के लिये तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक की सेवा पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी तथा अस्थायी होगी । नियमावली के परिशिष्ट I एवं II में ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।

2. प्रारंभिक चरण में संविदा आधारित नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जायेगी तथा इसका कलावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिये गठित समिति द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी । कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा । तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपर्युक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा ।

3. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी । इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे । परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी ।

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत नियुक्ति हेतु विहित आवेदन पत्र का प्रपत्र :

| विगत छः माह का पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो |
|---|

1. आवेदित पद का नाम : ............................................................
2. आवेदक/आवेदिका का नाम : ....................................................
3. पिता/पति का नाम : ...............................................................
4. वर्तमान पता : ग्राम : ..........................पोस्ट : ..........................
   थाना : .............................. जिला : ....................................
5. स्थायी पता : ग्राम : .......................... पोस्ट : ..........................
   थाना : ................................ जिला : ...................................
6. मोबाईल नं0 : ....................... ई-मेल : ..............................................
7. कोटि : अ.जा./अ.ज.जा./अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ अनारक्षित (जो लागू न हो उसे काट दें)
8. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :

| क्रमांक | परीक्षा का नाम | वि.वि./संस्थान का नाम | कुल प्राप्तांक | प्राप्तांक का प्रतिशत | श्रेणी/ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

9. अतिरिक्त योग्यता :

| क्रमांक | परीक्षा का नाम | वि.वि./संस्थान का नाम | कुल प्राप्तांक | प्राप्तांक का प्रतिशत | श्रेणी/ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

10. जन्म तिथि : ..................... शब्दों में : .............................................
    (01.11.2021 को उम्र )
    क) वर्ष : ................. (ख) महिना :.............. (ग) दिन : ...............
11. लिंग : पुरूष/महिला .........................................................................
12. अन्य योग्यता ...................................................................................
13. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र ......................................................
14. सभी शैक्षणिक, जाति एवं निवासी प्रमाण-पत्रों का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
15. नि:शक्त से संबंधित प्रमाण-पत्र (अनुबंध-।) संलग्न है या नहीं ? .................
16. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची - (क) (ख) (ग)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सही भरे गये हैं । यदि किसी भी समय कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मुझ पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

स्थान : ........................

तिथि : ........................

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

निःशक्तता हेतु प्रमाण-पत्र (अनुबन्ध-I)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. : ............ तारीख : ...............

## निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ................................... आयु .............. लिंग ........... पहचान चिन्ह ................................ निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(I). दोनों टांगे (बी एल)- दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II). दोनों बाहें (बी एल)- दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(III). दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और बांहे प्रभावित

(IV).एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V). एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI). पीठ और नितम्ब (बी एच)- पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII). कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I). बी-अंधापन

(II). पी बी -आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I). डी - बधिर

(II). पी डी -आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो )

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होनें की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।......... वर्षो...........महिनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में नि:शक्तता का प्रतिशत .......... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .............................. अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :-

(I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं

(II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(III) एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(V) बी -झुक कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VI) एस- बैठकर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(VIII) डब्ल्यू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(X) एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

(XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।हाँ/नहीं

| | | |
|---|---|---|
| (डॉ......................) | (डॉ......................) | (डॉ......................) |
| सदस्य | सदस्य | सदस्य |
| चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड |

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,

(मुहर सहित)

- जो लागू न हो काट दें ।